COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

FILED

29

R 4183-I-16

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर ,केम्प सागर (म.प्र.)

= =

1- बेनी प्रसाद घोषी (मृत) द्वारा वारसान पुत्र:-

(अ)-गोपालसींग घोषी

(ब)- देवीसींग घोषी,

(स)- श्याम घोषी,

(द)- बिहारी घोषी,

(इ)- बलराम घोषी,

(फ)- हरिओम घोषी,

सभी के पिता स्व. बेनीप्रसाद घोषी

सभी निवासी इतवारी टौरी सागर तहसील व जिला सागर

2- (अ)- मंगल सिंह उर्फ मुन्ना पिता स्व. लच्छू घोषी

(ब)- रामरानी बेबा स्व. लच्छू घोषी ,

दोनों निवासी इतवारी टौरी सागर तहसील व जिला सागर

3-(अ)- भगत उर्फ भारत उर्फ भरतसिंह

(ब)- प्रहलाद सींग

(स)- प्रताप सींग

(द)- शशी घोषी

सभी के पिता स्व. तुलसीराम घोषी

सभी हाल निवासी ग्राम अमावनी तहसील व जिला सागर

4- मानसींग पिता स्व. गोकल घोषी निवासी -इतवारी टौरी,

सागर तहसील व जिला सागर म.प्र.

द्वारा कारंदा आम- गोपाल सींग घोषी पिता स्व. बेनीप्रसाद

घोषी, निवासी इतवारी टौरी तहसील व जिला सागर म.प्र.

....आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्त्ता/

याचिकाकर्त्तागण

// विरुद्ध //

म0 प्र0 शासन

... अनावेदक/उत्तरवादी

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

B.O.R.

NOV 2016

100
29.11.16

मानसींग
देवीसींग
श्यामसिंह
बिहारी
बलराम

(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4183-एक/2016 जिला सागर बेनीप्रसाद विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~03-01-2018~~ 03/01/2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री वासुदेव चंदेल उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 85/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
03/1/19